SHRI VASANT SATHE (Akola): I have not got it.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, you are keeping quiet with a vengeance.

15.07 hrs.

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, यह रिजर्व बैंक कानून में संशोधन करने वाला जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है उसके बारे में मैं सब से पहले यह अर्ज करना चाहता हुं कि इस तरह पीसमील ंग से इस कानून का आधुनिकीकरण अच्छा नही है। बुनियादी तौर पर रिजर्व बैंक एक्ट के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और एक नाया कानून सदन के सामने पेश करना चाहिए। हर एक दो साल के बाद इस तरह के विधेयकों को पास करने का कोई मतलब नही होगा।

दूसरी बात यह है और यह बहुत चिन्ता की बात है कि रिजर्व बैंक की जो स्वायतता हैं उस स्वायत्तता को इस सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। फाइनेंशियर इस्टीट्यूशंस लाज की ज्याइंट पालयामेंट्री कमेटी में एक बहुत हो अनोखो घटना हुई जिस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री जगन्नाथ साहब जो आई सी एस है, कमेटी के समक्ष गवाही देने के लिए आए थे। उन से में ने एक सीधा प्रश्न पूछा कि इस कानून के बारे में सरकार के पास आप ने अपनी राय भेजी थी और अगर भेजी थी तो क्या इस कानून के बुनियादी सिद्धांतों से आप का विरोध है? तो गवाही देने वाले रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या जवाब देते हैं कि सरकार से सलाह मशविरा कर के और सरकार की इजाजत लेकर में आप के प्रश्न का उत्तर दूंगा। ज्वाइंट पालिमेंट्री कमेटो का उन्होने अपमान तो किया ही लेकिन इस से रिजर्व बैंक के गवर्नर की मनोदशा के ऊपर प्रकाश पड़ता है। इस सरकार ने सारे अफसरों को इस तरह गुलाम बना दिया है कि स्वायत्तता की बात तो आप करेंगे लेकिन ज्वाइंट पालियामेंन्ट्री कमेटी के सामने एविडेंस देने के लिए वह तैयार नही हैं इस डर से कि मन्त्री महोदय क्या कहेंगे? क्या यह घटना हुई है या नही, इस की सफाई सुशीला जी को देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप को सही सलाह मिले, उस को आप माने न माने, लेकिन अफसरो के मन में इस तरह का डर उत्पन्न होगा तो कोई सरकार चल नहीं पायेगी फिर यह चमचा लोगों की हो सरकार होगी। तो रिजर्व बैंक की स्वायतता के बारे में वह सफाई दें।

अब में इस के प्रमुख क्लाजेज की तरफ आ रहा हू।... (व्यवधान)... आप अगर शशिभूषण जी, उस दिन आते तो आप को मुझसे ज्यादा गुस्सा आता। मै तो सिर्फ वाक आउट कर के ही चला आया, लेकिन शायद आप तमाचा ही मार देते। इसलिए आप बहुत ज्यादा नाराज मत होइए।

उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्थ क्लाज मे इन्होंने यह कहा है कि रिजर्व बैंक के डायरैक्टर्स 4 साल में नियुक्त किये जायेंगे। लेकिन बाद में यह कहा है कि जब तक उन के सक्सैसर्ज नियुक्त नही किये जायेंगे तब तक पुराने डायरैक्टर्स ही चलते रहेंगे। इस तरह के सुझाव का क्या मतलब है—मेरी समझ में नही आता है। अब आप को मालूम है कि फलां डायरैक्टर चार साल के लिये नियुक्त किया गया है उस की मीयाद फंला तारीख को खत्म हो जायगी तो क्या 4 साल मे भी आप सक्सेसर के बारे में निर्णय नहीं कर पायेंगे। जिस तरह से गवर्नरों को टर्म खत्म होने के बाद चालू रखते हैं उसी तरह से डायरैक्टरों के बारे में भी करना चाहते हैं—इस का मैं सख्त विरोध करता हूं।

[श्री मधु लिमये]

जब मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, मैने कई बार सुझाव दिया था कि लगातार आई० सी० एस० अफसरो को रिजर्व बैक का गवर्नर बनाते चले जा रहे है—यह गलत बात है। ऐसे विशेषज्ञों को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाइये जो फिसकल और मौनिटरी पालिसी के बारे मे जानकारी रखते हो। लेकिन अभी तक इस के बारे मे सरकार ने कोई पालिसी डिसीजन नही लिया। इस लिये सुशीला जी से प्रार्थना करूगा—जब आप हमारे मुद्दों का जवाब दे तो इस के बारे मे भी खुलासा कीजिये कि भविष्य मे इस तरह के आई० सी० एस० या आइ० ए० एस० लोगो को नियुक्त नही किया जायगा और रिजर्व बैंक के गवर्नर विशेषज्ञों को हो बनायेगे।

इन्होंने अपने इस विधेयक मे बैंको का जो टाइम डिपाजिट या कुल मिला कर जो डिपाजिट्स होते है उस का 1 प्रतिशत री-फाइनेन्स फैसिलिटी के रूप मे देने का सुझाव दिया है। यदि बैकिंग डिपाजिट 12 हजार करोड़ मान लिया जाय तो यह रकम 120 करोड रुपये हो जायगी। 120 करोड रुपये की रकम कोई मामूली रकम नही है। क्या मंत्री महोदय कोई इस प्रकार का आश्वासन देगी कि यह 120 करोड रुपये का क्रेडिट कृषि या उद्योगो के सैक्टर मे केवल उन्ही को मिलेगा जिन को आप ने वरीयता दी है। सरकार के द्वारा जो प्रायोरिटीज निश्चित की गई है उन्ही के द्वारा रीफाइनेन्सिग फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जायगा—इस का मै स्पष्ट आश्वासन चाहता हू।

मंत्री जी को पता होगा कि हमारे यहा बम्बई या अन्य चार-पाच बडे शहरो मे हुण्डी बिजनेस चलता है, इस मे वे बैंको के द्वारा कर्जा लेते है। मान लीजिये 16 परसेन्ट या 18 परसेन्ट से लिया, लेकिन कानून तोड कर 25–30 परसेन्ट पर हुण्डीवाले लोग धन्धा करते है। क्या बैको के द्वारा क्रेडिट इस लिये दिया जाता है कि ये हुण्डीवाले गैर-कानूनी ढग से रुपया कमाने का काम करें। हुण्डी बिजनेस पर सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिये, इस को समाप्त कर देना चाहिये।

अब डिपाजिट्स के मसले को लेता हू। नान-बैंकिग कम्पनीज के द्वारा आम लोगो से डिपाजिट्स लिये जाते है। इस के बारे मे आज तक बहुत ही ढिलाई बरती गई है। देवकरण नानजी कम्पनी के बारे मे मंत्री जी को पता होगा—उस कम्पनी को जो चलाने वाले थे वे पब्लिक का एक करोड़ रुपया खा गये, अब यह कम्पनी कापड़िया ने ले ली है जिस पर यह सरकार बहुत मेहरबान है। एक चोर दूसरे चोर के हाथ मे यह कम्पनी चली जा रही है—मै जानना चाहता हूं रिजर्व बैक क्या कर रहा है नैशनलाइज्ड बैंक क्या कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्लियामेन्ट की लाइब्रेरी मे रिजर्व बैंक के डिपाजिट्स के बारे मे जो नियम है, उन की कापी नही है। मै दो दिन से माग रहा हू। चूकि इस समय आप सभापतित्व कर रहे है, इस लिये मे जानना चाहता हू—क्या पार्लियामेन्ट की लाइब्रेरी इसी तरह से चलेगी, हम को जो जानकारी चाहिये क्या वह हम को नही मिलेगी? दो दिनो से कोशिश कर रहा हूं कि रूल्ज मिल जाए लेकिन नही मिले। यह कोशिश इस लिये कर रहा था कि वर्तमान रूल्ज के अनुसार कम्पनियो का जो शेअर कैपिटल होता है उस का 25 प्रतिशत वे आम जनता से डिपाजिट के रूप मे ले सकती है और डायरेक्टर्स की व्यक्तिगत गारण्टी पर वे 25 प्रतिशत और ले सकती है, जब कि डायरैक्टर्स का कोई व्यक्तिगत एसेट्स नही होते। चूकि डिपाजिट्स के बारे मे आपने इस मे कुछ सुझाव रखे है इसलिये मै जानना चाहता हू कि इस से जो धाधलिया और गड़बड़िया चल रही है क्या आप लोग उस पर कोई नियन्त्रण कर पायेंगे।

अब मारुति के एक बड़े शेअर होल्डर की बात आप के सामने रखना चाहता हू—यह

मधुसूदन लि० है जो मारुति के मेजर शेग्रर होल्डर हैं। इन्होंने डिपोजिट्स के लिये एडवर्टाइज किया है और 22 परसेन्ट इन्टरेस्ट देने को तैयार हैं। ये कम्पनियां मारुति लि० कम्पनी जैसी कम्पनियों में रुपया लगा रही हैं जो घाटे मे चलने वाली है, जिन में दुनिया भर के बदमाश इकट्ठे किये गये है। आप के यहां आने से पहले आज सुबह जब मैं अगले सप्ताह के बिजनेस पर बोल रहा था........।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) : जब आप ने कहा था, तब मैं यहा मौजूद थी।

श्री मधु लिमये : आप को पता चलेगा कि दो स्मगलरों ने मारुति मे 30 हजार और 15 हजार शेग्रर लिये हुए है, जिन की कीमत होती है—3 लाख और डेढ़ लाख रुपया। यह भी इसी तरह की कम्पनिया है, जाजोदिया और तुलसियान की। क्या आप इन के बारे म जाच करायेंगी कि पब्लिक के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है।

अब आप मारुति पर आइये—मैंने मारुति की बैलेंस शीट को बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है यह बैलेंस शीट बहुत जल्दी नही मिलती है? इस से पता चलेगा कि इन का जो पेड-अप कैपिटल है, उस से दुगने से भी अधिक....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I want to know where is the connection of Maruti Limited with Reserve Bank of India?

श्री मधु लिमये : डिपाजिट्स के बारे मे कह रह हूं नान-बैंकिंग कम्पनीज के द्वारा पब्लिक से जो डिपाजिट्स लिये जाते हैं, उस मे जो घोटाला होता है, उस को चैक करने के लिये इन्होंने इस बिल में उसकी व्याख्या की है। इसलिये इस महत्वपूर्ण अंग की ओर आप का ध्यान दिला रहा हूं। मैं कह रहा था कि जो ऐसी कम्पनियां हैं। जिन के ऊपर सरकार का वरद-हस्त है, आशीर्वाद है, उन कम्पनीयों में क्या चल रहा है। मारुति का जो शेग्रर कैपिटल है उस से डबल से भी अधिक उन्होने एजन्टों से और वितरकों से डिपाजिट इकट्ठा किया है मेरे पास यह 31 मार्च तक की बैलेंसशीट है—इस में 2 करोड़ 18 लाख रुपया अकेले डिस्ट्रिब्युटर्स से जमा किया गया है। मैं मंत्री जी से आज इस बात की सफाई चाहता हूं—25 प्रतिशत का आप का रूल है या नही है शेग्रर कैपिटल का कितने प्रतिशत डिपाजिट के रूप में पब्लिक से इकट्ठा किया जा सकता है—विभिन्न फोर्म्ज मे। क्या मारुति के केवल एजन्टों से शेग्रर कैपिटल के दुगने से भी अधिक रुपया इकट्ठा किया है या नही।

अगर दूसरी कम्पनियों से आप इस कम्पनी की बैलेंसशीट की तुलना करेंगे तो आप को मालूम होगा कि बहुत सारी बाते जो कम्पनी कानून के तेहत इस बैलेंसशीट में होनी चाहिये, वे भी इस में नही आई हैं। विचित्र बात तो यह है कि 46 लाख रूपये की शेग्रर एप्लीकेशन्ज इन के पास पड़ी हुई हैं, उस मे से 20 लाख रुपया जमा है, लेकिन उन की एप्लीकेशन्ज तक नही हैं। मारुति मे जितनी पूजी लगी हुई है, सब चोरो, बदमाशों और स्मगलरो ने लगाई हुई है वरना इस तरह की बात कम्पनी कानून के अन्तर्गत कैसे हो सकती है—मेरी समझ मे नही आता है—पैसा जमा है, लेकिन एप्लीकेशन्ज नही है—इस का मतलब है कि सारे शेग्रर बोगस है, उन में ब्लैक का पैसा लगा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को 14 महीने हो गए—आप इस सदन के उपाध्यक्ष है, यह केवल अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी नही है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलवाये, आप की भी जिम्मेदारी है, दूसरे सभापतियो की भी जिम्मेदारी है जो इस कुर्सी पर बैठते है। 14 महीने हो गये मैंने पूछा था कि मारुति के मेजर इन्वेस्टर्स बताये जाये और इकानामिक ओफन्सेज के बारे में बतलाया जाये—मैंने दोनो सवाल कामर्स मिनिस्टर से पूछे थे—14 महीने

[श्री मधु लिमये]

के बाद भी यह जानकारी नहीं मिली यह कहा जाता है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है, उचित समय पर रखी जायगी। यह समय कब आयेगा—मेरे मरने के बाद ?

प्रो० श्री नारायणचन्द पराशर (हमीरपुर) : आप के हारने के बाद।

श्री मधु लिमये : हारने की उम्मीद न कीजिये—मेरे मरने के बाद ही यह इन्फर्मेशन आयेगी। इसलिये मैं चाहता हू कि इन बातो का खुलासा हो जाये उसी तरह से हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड मे अच्छा लेख आया है, मत्री जी को पढना चाहिये इसके बारे मे।

"RBI regulations for deposits acceptance found inadequate".

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): If you remember aright, my amendment regarding over-subscription has been accepted and according to the modified and amended Companies Act, what Shri Limaye has said becomes very relevant and important, and this type of money being kept with the companies becomes an illegal act.

श्री मधु लिमये : आप के डायरेक्टर्स गारन्टी के बारे मे यह कहते हैं कि कई डायरेक्टर्स ऐसे होते है। उन के कोई असेट्स नही होते और शेयर कैपिटल का अगर 25 परसेंट पब्लिक से डायरेक्टर्स की गारन्टी पर लिया जायेगा तो बहुत सारी कम्पनिया ऐसी हैं जिस मे पब्लिक हल्ला कर रही है कि हमारे डिपाजिट्स वापस नही मिल रहे है। तो रिजर्व बैंक और सरकार किसी तरह का नियत्रण कम्पनी ला का मामला हो या आर० बी० आई० का हो कोई नियत्रण इन चीजों पर नही रख रहे हैं।

मैं मत्री जी का ध्यान चिट फड्स की ओर भी दिलाना चाहता हू यह भी एक माने मे नान-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्ज है और चिटफड के कई मामले सरकार के सामने पड़े हुये है। उस में क्लास तीन और चार के जो कर्मचारी होते है वह अपनी बचत का पैसा लगाते है और उसमे करोडों रुपयो का घोटाला हो रहा है। तो क्या चिट फड्स को भी नियमित करने के बारे मे मत्री महोदया कुछ सोचेंगी ?

इस विधेयक का एक उद्देश्य यह है कि कृषि के कार्य मे मदद दी जाये तो एक विषय की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हू। मेरे पास 13 तारीख का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' अखबार है और सिंचाई के उपर एक लेख है।

"70 per cent of irrigation water goes waste".

हम लोग तो जानते थे लेकिन उन्होने कई राज्यो के आकडे एकत्रित करके दिया है और जो निष्कर्ष इन का है वह आप के सामने रखता हू

"Wastage of water and lack of scientific water management were the other defects exposed. Only 30 per cent of water benefited crops, the rest being lost through seepage from canals or evaporation. This problem was worse in the major and medium irrigation schemes which accounted for 40 per cent of irrigation sources. Minor sources such as wells and tubewells provided irrigation of better quality."

इसलिये मैं कहना चाहता हू अभी आप ने पौग डैम की खबर अखबारो में पढी होगी कि पौंग डैम बन गया राजस्थान को फायदा होगा कि लेकिन लीकेज शुरु हो गया है और हर दिन 15,000 क्यूसेक्स से अधिक पानी चला जा रहा है और कहते हैं कि बाद मे उस को किसी बैराज से पकडते हैं, तो मेजर और मीडियम इरीगेशन स्कीमों के ऊपर तो अरबो रूपया लगाया जा रहा है जिस से 30 प्रतिशत पानी बेकार ज है, नजदीक के इलाके है वहा इतना पानी होता है कि कभी कभी धान की फसले

मारी जाती है और जो दूर के इलाके कमान्ड एरिया में हैं उन को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। एस्टीमेट्स कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्यूब वैल्स और पम्प सैट्स पर ही ज्यादा जोर दिया जाये ताकि किसानों के अख्तयार में ही यह मामला रहे और इस के लिये रिजर्व बैंक में जो प्रयत्न कर रहे है उन दोनों में कोई समन्वय बैठना चाहिये। कृषि विकास के लिये बड़ी बड़ी योजनाओं पर पैसा बरबाद करने के बजाय जो आप की क्रेडिट है वह किसानों को दीजिये। और मैं ने सुझाव दिया था कि 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स और स्टेट बैंक मिल कर एक कोई पम्पिंग सैट कॉरपोरेशन बनाये और टर्म की बेसिस पर किसानों को दीजिये और उन पर इन्स्टालमेंट ली जायें। इस से बीच वाले जो पैसा अभी खा जाते हैं वह नहीं खा सकेंगे। मैं समझता हूं इन सारे सुझावों पर सरकार सोचेगी।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मान्यवर, रिजर्व बैंक बिल पर जब अमेंडमेंट पेश हो रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि रिजर्व बैंक काम करता चुका है, उस की देश के लिये क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुके हैं जिन पर हम विचार कर रहे है। मैं ने कई बार देखा जो आर्थिक संकट काल है उस में रिजर्व बैंक क्या रोल अदा कर रहा है। रिजर्व बैंक हमें ऐडवाइस देता है और सब कुछ सोचता है, लेकिन जब इस के अचीवमेंट्स को देखा तो मालूम हुआ कि रिजर्व बैंक के जो काम करने वाले है या तो उन की रिपोर्ट को हर साल हाउस में डिस्कस किया जाय, और उन के अचीवमेंट्स क्या हैं इस बारे में रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम जो अपने ऑबजेक्ट्स रखना चाहते थे वह पूरे नहीं हुए। और जो भी उन्हों ने लोन दिया है उस से मालूम होता है, जो बार बार आप कहते है कि छोटे किसानों को लोन देना चाहते है, उस की रिपोर्ट में यह लिखा है:

"By and large, the leading levels in all the other States are relatively low. Tamil Nadu is a significant instance in which the loan per head of population, which stood at Rs. 17.24 in 1963-64, came down to Rs. 12.93 in 1966-67. The lowest in the scale are Orissa (Rs. 4.95), Jammu and Kashmir (Rs. 4.09), Rajasthan (Rs. 3.78), West Bengal (Rs. 3.36), Bihar (Rs. 2.60) and Assam (Rs. 1.29). These figures, like those of total loans of advance given earlier, bring out firstly the relatively low levels of co-operative credit in most States, and secondly, the declining trend which has begun to appear in more than one State even after allowance is made for the increase in the population."

तो आज की जो क्रेडिट है मालूम होता है कि दो और तीन रु० पर कैपिटा भी उस को लोन नहीं मिला। और बार बार आप कहते है कि रिजर्व बैंक लोन देना चाहता है। कहते है कि कोआपरेटिव सोसायटी मे लोन मिल रहा है। उन का कहना है कि कुछ बड़े आदमियों को ही सारा कर्जा मिलता है। कोआपरेटिव सोसायटीज मे वेस्टेड इंटरैस्ट्स को कर्जा मिलता है। रिजर्व बैंक क्या करता है ? मैं ने कई बैंक्स की हालत को देखा है, बड़ौदा बैंक के मैनेजर, डायरेक्टर और चेयरमैन का हाल देखा है उन ने अपने घर वालों को पैसा दे दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. You may continue when this Bill is again taken up. We now proceed to Private Members' Business.

श्री गेंदा सिंह (पदरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस शुरू हो गया।